



न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार भीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 63/2019 (2019/00111)

दर्ज तिथि:- 11.06.2019

1. मोडाराम वल्द विरधाराम
2. रामाराम वल्द विरधाराम
3. निम्बाराम वल्द विरधाराम

जाति जाट निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....वादीगण

1. उदाराम वल्द घमण्डाराम
2. चूनाराम वल्द घमण्डाराम

जाति जाट निवासी ईश्वरपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

3. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा राणा प्रताप बाजार गुडामालानी
4. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. कृषि विकास शाखा गुडामालानी
5. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित

वादी अधिवक्ता:- श्री डालूराम चौधरी
प्रतिवादीगण :- एकतरफा

सत्यमेव जयते

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि-1955

-:निर्णय:-

निर्णय तिथि:- 15.03.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 181 रकबा 24-13 बीघा (3.9902 हैक्टेयर) के लक्ष्मणपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामिलता कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 1/3 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित

है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काशत में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादीगण को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामील अनुस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वादी की तरफ से साक्ष्य प्राप्त की जाकर अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुडामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2023/10 दिनांक 27.06.2023 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई।
3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2074-2077 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादी एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 181 रकबा 24-13 बीघा (3.9902 हैक्टेयर) वाके लक्ष्मणपुरा तहसील गुडामालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामिलती कब्जे काशत खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में संयुक्त आराजी में वादीगण 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 1/3 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।
4. प्रकरण में वादीगण द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काशतकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काशतकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काशतकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काशतकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काशतकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का

खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षति:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नंबर 181 रकबा 24-13 बीघा (3.9902 हैक्टेयर) वाके लक्ष्मणपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।


खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
मोडाराम पुत्र विरधाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन-SBBJ (SBI) गुडामालानी	1/3			
रामाराम पुत्र विरधाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन-SBBJ (SBI) गुडामालानी	1/3	181	2.5900	बा.दो.
निम्बाराम पुत्र विरधाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन-SBBJ (SBI) गुडामालानी	1/3			
किता 01 रकबा 2.5900 हैक्टेयर				
उदाराम पुत्र घमंडाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन-SBI गुडामालानी	1/2	181	1.4002	बा.दो.
जोगाराम उफ चूनाराम पुत्र घमंडाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन-SBI गुडामालानी	1/2			
किता 01 रकबा 0.4002 हैक्टेयर				


मोडाराम बनाम उदाराम
63/2019 (2019/00111)
निर्णय दिनांक:-15.03.2024

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 15.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
गुडामालानी-बाडमेर



सत्यमेव जयते

गुडामालानी



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 63/2019 (2019/00111)

दर्ज तिथि:- 11.06.2019

1. मोडाराम वल्द विरधाराम
2. रामाराम वल्द विरधाराम
3. निम्बाराम वल्द विरधाराम

जाति जाट निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....वादीगण

1. उदाराम वल्द घमण्डाराम
2. चूनाराम वल्द घमण्डाराम

जाति जाट निवासी ईश्वरपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

3. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा राणा प्रताप बाजार गुडामालानी
4. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. कृषि विकास शाखा गुडामालानी
5. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी अधिवक्ता:- श्री डालूराम चौधरी
प्रतिवादीगण :- एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि-1955

:-पर्चा डिक्री:-

निर्णय तिथि:- 15.03.2024

दावा वादी अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नंबर 181 रकबा 24-13 बीघा (3.9902 हैक्टेयर) वाके लक्ष्मणपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिका अनुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

मोडाराम बनाम उदाराम
63/2019 (2019/00111)
निर्णय दिनांक-15.03.2024

खातेदार	हिरसा	खरारा	रकबा	किरम
मोडाराम पुत्र विरधाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन-SBBJ (SBI) गुडामालानी	1/3			
रामाराम पुत्र विरधाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन-SBBJ (SBI) गुडामालानी	1/3	181	2.5900	बा.दो.
निम्बाराम पुत्र विरधाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन-SBBJ (SBI) गुडामालानी	1/3			
किता 01 रकबा 2.5900 हैक्टेयर				
उदाराम पुत्र घमंडाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन-SBI गुडामालानी	1/2			
जोगाराम उफ चूनाराम पुत्र घमंडाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन-SBI गुडामालानी	1/2	181	1.4002	बा.दो.
किता 01 रकबा 0.4002 हैक्टेयर				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 15.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाई गई।

सत्यमेव जयते

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
गुडामालानी-बाड़मेर

गुडामालानी